

फर्च अलकलत

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (प्राणीण)

ग्यारशी लाल बनाम उपखण्ड अधिकारी जगवारामगढ व अन्य

केस संख्या 12/2023 (मुक्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आझा भा कसवेवारी	आझा का निरतुत रूप	विशेष विवरण
सुमन पत्र 04.03.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी जगवारामगढ के पीठारीन अधिकारी श्री चिमन लाल गीणा आर०ए०एस० का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है।</p> <p>प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी जगवारामगढ के राक्ष विचारधीन प्रकरण संख्या 181/2021 व उनवानी जगदीश बनाम अभिषेक व अन्य में पीठारीन अधिकारी श्री चिमन लाल गीणा आर०ए०एस० से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र राक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जगवारामगढ के पीठारीन अधिकारी चिमन लाल गीणा आर०ए०एस० का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुक्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शुन्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुक्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p>	

(प्रकाश राजपुरोहित)

जिला कलक्टर
जयपुर (प्राणीण)